बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com URL:www.scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-549/रा.आ.नि. दिनांक-07 मई'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

(1) शैक्षणिक डीन, बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय
(2) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना।
(3) निदेशक, ए0एन0 सिन्हा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना।
(4) निदेशक, आद्री, पटना।
(5) निदेशक, बिहार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय
(6) स्वतंत्र शोधार्थी

विषय :- **बिहार राज्य में दिव्यांगता प्रक्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य के संवर्धन हेतु कार्यशाला का आयोजन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण तथा उनकी क्षमता के समुचित उपयोग हेतु दिव्यांगता प्रक्षेत्र एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों की आवश्यकता सर्वमान्य है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 में भी इसके सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान/नियम उल्लेखित किये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु प्रासंगिक धाराओं/नियमों का उल्लेख निम्न प्रकार है :-

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-28 (अनुसंधान और विकास) -"समुचित सरकार ऐसे मुद्दों पर व्यष्टियों या संस्थाओं के माध्यम से जिनसे आवास और पुनर्वास और ऐसे अन्य मुद्दे जो दिव्यांगजनों के लाभ के लिए आवश्यक समझे जाएं, के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरंभ करेगी या कराएगी"।
- बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 का अध्याय-2, नियम-3 के अन्तर्गत दिव्यांगता अनुसंधान के लिए राज्य समिति के गठन से सम्बन्धित नियम बनाये गये हैं।

उक्त प्रसंग यह भी उल्लेखित है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 की कंडिका-(ड़) के अन्तर्गत प्रावधानित है कि (राज्य आयुक्त) "दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा"।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-31.05.2019 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 3:00 बजे तक राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय स्थित सभाकक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन निर्धारित किया गया है, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं :-

(1) बिहार राज्य के दिव्यांगता प्रक्षेत्र से जुड़े विशिष्ट पहलुओं की पहचान/प्रसार जिनके सम्बन्ध में अनुसंधान व विकास कार्यों की सघन आवश्यकता है।
(2) वर्त्तमान में सम्पादित अनुसंधान एवं विकास कार्यों का गुणात्मक व संख्यात्मक आकलन।

कृ0पृ0उ0.............

Scanned with CamScanner

(3) अनुसंधान एवं विकास कार्यों के संवर्धन हेतु उत्प्रेरक साधनों को विनिश्चित करना व उनकी पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना।

उक्त आलोक में आपसे अनुरोध है कि अपने नियंत्रण/सम्पर्क में आने वाले उक्त विषय से जुड़े अथवा इच्छुक शोधार्थियों को इस सम्बन्ध में सूचित करते हुए इस कार्यशाला में शामिल होने हेतु उत्प्रेरित कर कार्यशाला के उद्देश्यों की पूर्ति में सहभागी होने की कृपा करें। कार्यशाला में शामिल होने/निबंधित किये जाने से सम्बन्धित विहित प्रपत्र तत्संबंधी आवश्यक निर्देशों के साथ कार्यालय की बेवसाईट (URL:www.scdisabilities.org) पर उपलब्ध है। उक्त कार्यशाला में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में प्रतिभागियों को इस कार्यालय से कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

विश्वासभाजन
09.05.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-542/आ.नि.को. दिनांक-09 मई'19

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

09.05.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-542/आ.नि.को. दिनांक-09 मई'19

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं उक्त कार्यशाला के लिए यथा आवश्यक इनपुट के साथ किसी पदाधिकारी को नामित किये जाने हेतु प्रेषित।

09.05.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-542/आ.नि.को. दिनांक-09 मई'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 07, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, पटना-15 को सूचनार्थ प्रेषित।

09.05.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-542/आ.नि.को. दिनांक-09 मई'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

09.05.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner